उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2- 2372 /ग्यारह-7(103)/91-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(51)-2009

लखनऊ::दिनांक: 24 नवम्बर, 2009

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) की धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि दिनांक 24 नवम्बर, 2009 से किसी व्यवहारी द्वारा कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट/मिलैट्री कैन्टीन के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर तैनात अथवा निवास कर रहे यथास्थिति भारतीय सशस्त्र बल/अन्य प्रतिरक्षा अधिष्ठानों के सदस्यों अथवा भूतपूर्व सैनिकों को, कमान्डिंग आफिसर की श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्राधिकार पत्र, जिसमें उक्त व्यक्तियों को उक्त अधिनियम के अधीन बिना कर प्रभावित किये बिक्री की संस्तुति की गई हो, (क) मोटर साइकिल, स्कूटर, मोपेड जिसमें बैट्री चालित यान भी सम्मिलित हैं; (ख) निजी उपयोग हेतु वाहन चालक की सीट सहित अधिकतम 7 सीट की क्षमता वाले हल्के मोटर यान जिसमें एस0यू0वी0 सम्मिलित हैं, की बिक्री के आवर्त पर निम्न शर्तों के अध्यधीन उक्त अधिनियम के अधीन कर संदेय नहीं होगा:--

शर्तें

(एक) प्राधिकार पत्र दो प्रतियों में सम्बन्धित व्यवहारी को निर्गत किया जायेगा जिसकी एक प्रति व्यवहारी के कर निर्धारक अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। व्यवहारी प्राधिकार पत्र की एक प्रति वार्षिक विवरणी के साथ कर निर्धारक अधिकारी को प्रस्तुत करेगा;

(दो) व्यवहारी कर अवधि की विवरणी के साथ प्राधिकार पत्र के सापेक्ष की गयी बिक्री की सूची संलग्न करेगा;

(तीन) किसी भी सेवारत या भूतपूर्व सैनिक को चौपहिया वाहन क्रय की उपर्युक्त सुविधा एक बार ही उपलब्ध होगी;

(चार) इस अधिसूचना के अधीन दी गयी सुविधा के अन्तर्गत क्रय किये गये मोटर साइकिल, स्कूटर, मोपेड या हल्के मोटर यान को क्रय करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के भीतर क्रेता की पत्नी/पति/पुत्र/पुत्री अथवा किसी सेवारत या भूतपूर्व सैनिक को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रविष्टि, परिवहन विभाग के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र पर अभिलिखित की जायेगी;

(पॉच) संबंधित अधिकारी सेवारत सैन्य कार्मिकों के सेवा अभिलेखों में या भूतपूर्व सैन्य कर्मियों के अन्य अभिलेखों में यान क्रय की प्रविष्टि को सुनिश्चित करेंगे;

(छ:) सम्पूर्ण राज्य के लिये वार्षिक संख्या-क्रमांक (क) पर उल्लिखित यानों के लिए तीन हजार तक सीमित होगी और क्रमांक (ख) पर उल्लिखित यानों के लिए एक हजार दो सौ तक सीमित होगी।

आज्ञा से,

(दुर्गा शंकर मिश्र)

सचिव।